सं.13035/01/2013-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी'विंग,चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक स्वायत्त निकायों के संबंध में पुन: निर्धारित करना ।

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदी पदों का मानक राजभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13035/3/80-रा.भा.(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे । ये मानक संशोधित करके दिनांक 5.4.1989 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/88-रा.भा.(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे । ये मानक दिनांक 22.7.2004 को कार्यालय ज्ञापन सं. 13035/3/95-रा.भा.(नीति/समन्वय) द्वारा पुन: निर्धारित एवं परिचालित किए गये थे ।

2. दिनांक 22.7.2004 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/95-रा.भा.(नीति एवं समन्वय) के कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए इन मानकों को 'स्वायत्त निकायों' के लिए भी लागू किया गया है । अतएव दिनांक 22.7.2004 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/95-रा.भा.(नीति एवं समन्वय) के मद संख्या 1.2 एवं 1.3 में मंत्रालयों/विभागों और संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ 'स्वायत्त निकायों' शब्द भी पढ़ा जाए । कार्यालय ज्ञापन की शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के डायरी सं. 240339/2015-डी.एस.(ई समन्वय-1) दिनांक 19.01.2016 के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों में परिचालित करें।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के मंत्रालय/विभाग में हिंदी इकाई के प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने मंत्रालय/विभाग में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों/स्वायत्त निकायों में परिचालित करें ।

2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
7. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
9. महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
10. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
11. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
13. निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम,वेस्ट ब्लाक-7, नई दिल्ली ।
14. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली ।
15. समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इसकी प्रतियां परिचालित करें ।
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।